

RR No. 2378  
6912

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 30.8.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री विवेकानन्द बैरवा वरिष्ठ लिपिक वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	4/28 गॉधीनगर	31.7.2024	89/09
2	श्री बजरंग लाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/41 गॉधीनगर	30.9.2024	20/10
3	श्री अचल सिंह चौहान निरीक्षक, सहकारिता विभाग जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन संघ, जयपुर	4/56 गॉधीनगर	28.2.2031	124/09
4	श्री अनुराग महावर वरिष्ठ लिपिक, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	4/82 गॉधीनगर	29.2.2028	125/09
5	श्री रामकल्याण गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार उद्योग विभाग, जयपुर	4/34 गॉधीनगर	30.11.2026	126/09
6	श्री जय कुमार कनिष्ठ लिपिक राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	4/112 गॉधीनगर	31.12.2024	127/09
7	सुश्री नीता सत्यानी निरीक्षक सहकारिता विभाग, जयपुर	4/139 गॉधीनगर	30.9.2036	131/09

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

20

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग/वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
5. उप पंजीयक (प्रशासन), सहकारिता विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर।
7. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गौंधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर,, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर यदि पूर्व में राजकीय आवास आवंटित है तो उसे 15 दिवस में रिक्त करें।
12. अनुभागाधिकारी, कार्मिक(ग) विभाग को किराया कटौती हेतु।
13. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव